

कार्यालय
न्यायालय, जिला लोकपाल, मनरेगा
समाह्वरणालय परिसर, शेखापुरा, बिहार

पत्रांक..... /

प्रेषक,

जिला लोकपाल (मनरेगा),
शेखापुरा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
कार्यक्रम समन्वयक, (मनरेगा)
शेखापुरा।

शेखापुरा, दिनांक..... /

विषय :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत फार्मेट अनुबंध-8 एवं अनुबंध-9 को लागू करवाने के सन्दर्भ में।

महाशय,

मैं ई0 पंकज सिन्हा, जिला लोकपाल (मनरेगा) आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में फार्मेट अनुबंध-8 एवं अनुबंध-9 को पूरे जिला में लागू किया जाना है, जिसे अभी तक लागू नहीं किया जा रहा था।

अतः उम्मीद है कि पूरे जिला क्षेत्र में इसे लागू करवा दिया जाएगा।

धन्यवाद।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय

ह0/-


ई0 पंकज सिन्हा,
जिला लोकपाल (मनरेगा),
शेखापुरा

ज्ञापांक 14/10.17/2017-18 /

दिनांक 24.10.2017 /

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला समन्वयक (मनरेगा), शेखापुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, शेखापुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रति को जिले के बेवसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा की जाय।


ई0 पंकज सिन्हा,
जिला लोकपाल (मनरेगा),
शेखापुरा (बिहार)